Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर को सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमंडल अंतर्गत खसरा क्रमांक 529 के रकबा 1.82 हे.; राजस्व वन भूमि का नवीन कोर्ट भवन निर्माण के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

Date : 26 -09-2022

Place : Raipur

(Manoj Kumar Pingua)
Principal Secretary
Government of Chhattisgarh
Deptt. of Forest & Climate Change
Mantralaya, Nawa Raipur

Name - Manoj Kumar Pingua

Designation - Principal Secretary
C.G. Govt.,
Forest & Climate Change Department

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–17/2022/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 27/09/2022

प्रति,

वनमहानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ 492015 ।

विषयः – सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमंडल, अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु PWD B and R Division Surajpur द्वारा New District Court Building हेतु क्षेत्रफल 1.82 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–925/2082, दिनांक 14.09.2022।

––00––

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :–

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
1	**आवेदक विभाग का मांग पत्र –** आवेदनकर्ता कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर द्वारा सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमंडल अंतर्गत खसरा क्रमांक 529 के रकबा 1.82 हे.; राजस्व वन भूमि का नवीन कोर्ट भवन निर्माण के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्राप्त हुआ है।	1–2
2	**प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) –** आनलाईन रजिस्ट्रेशन क्रमांक–**FP/CG/Others/152258/2022** आबंटित किया गया है जिसकी पुष्टि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 03.06.2022 के आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 18,000 रूपये कुल 24,000 रूपये जमा कराया गया है।	3–9
3	**वन क्षेत्र का विवरण –** प्रकरण में सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमंडल अंतर्गत ग्राम तिलसिंवा तहसील सूरजपुर खसरा क्रमांक 529 के रकबा 1.82 हे.; राजस्व वन भूमि में नवीन कोर्ट भवन निर्माण हेतु वन भूमि प्रभावित हो रही है।	10
4	**गैर वन क्षेत्र का विवरण –** प्रस्तावित क्षेत्र में गैर वन भूमि/निजी भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।	11
5	**प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50,000 स्केल पर –** प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है (डी.जी.पी.एस. सर्वे रिर्पोट प्रस्ताव में संलग्न है। ।	12–13
6	**वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप –** वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।	14–15

क्रमशः 2

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
7	**प्रपत्र–4 में प्रस्ताव –** प्रपत्र–4 में कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर द्वारा सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमंडल अंतर्गत खसरा क्रमांक 529 के रकबा 1.82 हे.; राजस्व वन भूमि का नवीन कोर्ट भवन निर्माण के गैर वानिकी कार्य के लिए प्रशासकीय लागत 3496.22 लाख रू. बतायी गई है। वन भूमि का घनत्व 0.4 से कम है।	16–21
8	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप –** सूरजपुर जिले के सूरजपुर वन मंडल अंतर्गत नवीन कोर्ट भवन निर्माण कार्य के गैर वानिकी कार्य हेतु वन भूमि रकबा 1.82 हे. वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है। सूरजपुर कोर्ट भवन अत्यंत पुराना एवं जर्जर हो चुका है जिस कारण से नवीन भवन निर्माण की मांग किया जा रहा है। प्रस्तावित नवीन कोर्ट भवन हेतु चयनित भूमि मुख्य मार्ग एवं नवीन बस स्टैण्ड के समीप है जिससे जन सामान्य को सुविधा होगी। उक्त नवीन जिला कोर्ट भवन का भू–तल का क्षेत्रफल 6355 वर्ग मीटर प्रथम तल का क्षेत्रफल 5154 वर्ग मीटर एवं द्वितीय तल का क्षेत्रफल 1661 वर्ग मीटर कुल क्षेत्रफल 13170 वर्ग मीटर है। नवीन जिला कोर्ट भवन में वकीलों एवं जन सामान्य हेतु बैठक, गार्डन, पार्किंग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसका प्रशासकीय लागत 3496.22 लाख रू. अनुमानित है।	22–26
9	**वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र –** प्रस्तावित वन भूमि के लिए वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	27
10	**न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र –** प्रस्तावित नवीन कोर्ट भवन निर्माण हेतु खसरा क्रमांक 529 के रकबा 1.82 हे.; राजस्व वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है तदाशय का वन मंडलाधिकारी, सूरजपुर वनमंडल का प्रमाण पत्र संलग्न है।	28
11	**पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र –** प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का अधिसूचना की प्रति प्रस्ताव में संलग्न है।	29–71
12	**वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) –** आवेदित क्षेत्र में कोई भी वृक्ष विद्यमान नहीं है । तदाशय का वन मंडलाधिकारी, सूरजपुर वन मंडल का प्रमाण पत्र संलग्न है।	72
13	**कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस –** परियोजना 20.00 हे. से कम होने के कारण कास्ट बेनीफिट विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।	73–75
14	**चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र –** नवीन कोर्ट भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित रकबा 1.82 हे. के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगुनी राजस्व वन भूमि ग्राम बकिरमा में खसरा क्रमांक 780 रकबा 3.64 हे. का चयन कलेक्टर जिला सूरजपुर द्वारा किया गया है आदेश की छायाप्रति संलग्न है।	76–79
15	**गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा –** ग्राम बकिरमा में खसरा क्रमांक 780 रकबा 3.64 हे. का चयन कलेक्टर जिला सूरजपुर द्वारा किया गया है। प्रस्तावित स्थल का मानचित्र डीजीपीएस सर्वे रिपोर्ट चेक लिस्ट 44 पृष्ठ 171 में संलग्न है।	80

क्रमशः 3

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
16	**स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना –** आवेदित वन भूमि 3.64 हे. का क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। 10 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना वर्ष 2022–23 के प्रचलित दर से तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न है।	81–115
17	**वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र –** आवेदित वन भूमि रकबा 1.82 हे. के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगुनी राजस्व वन भूमि ग्राम बकिरमा में खसरा क्रमांक 780 रकबा 3.64 हे. 6.66 हे. के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वनमंडलाधिकारी, सूरजपुर वनमंडल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।	116
18	**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण –** वनमंडलाधिकारी सूरजपुर वनमंडल के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। वनमंडलाधिकारी सूरजपुर एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	117
19	**अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण –** वनमंडलाधिकारी सूरजपुर वनमंडल के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	118
20	**अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही –** वनमंडलाधिकारी सूरजपुर वनमंडल के प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने के कारण किसी भी अधिकारियों एवं कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।	119
21	**वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र –** वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी, सूरजपुर वनमंडल एवं आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	120
22	**कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान –** प्रस्ताव सिंचाई से संबंधित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं है।	121
23	**रिक्लेमेशन प्लान –** प्रस्ताव खनन से संबंधित नहीं होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	122
24	**माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) –** प्रस्ताव खनन से संबंधित नहीं होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।	123
25	**व्यवस्थापन प्लान –** प्रकरण में किसी को भी उक्त क्षेत्र से हटाया नहीं जाना है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	124
26	**वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) –** प्रपत्र–3 पर वनमंडलाधिकारी, सूरजपुर द्वारा दिनांक 05.08.2022 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वनमंडलाधिकारी, सूरजपुर वनमंडल के अनुशंसा के आधार पर भाग–3 में मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त द्वारा दिनांक 07.09.2022 से व्यपवर्तन प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।	125–134
27	**ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र –** व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है जिससे संबंधित वन मंडलाधिकारी सूरजपुर एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	135
28	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर द्वारा ग्राम तिलसिंवा तहसील सूरजपुर जिला सूरजपुर एवं वनमंडल सूरजपुर अंतर्गत खसरा क्रमांक 529 के रकबा 1.82 हे.; राजस्व वन भूमि का नवीन कोर्ट भवन निर्माण के गैर वानिकी कार्य हेतु सरपंच ग्राम पंचायत तिलसिंवा का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	136–140

क्रमशः 4

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
29	**जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) –** सूरजपुर जिले कुल वन भूमि 165572.246 हे. है।	141
30	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में –** सूरजपुर वनमंडल अंतर्गत 2679.044 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है।	142–145
31	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में –** सूरजपुर वनमंडल अंतर्गत इस श्रेणी के एक भी प्रकरण में वन भूमि व्यपवर्तित नहीं की गई है।	146
32	**प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी –** वनमंडल सूरजपुर अंतर्गत खसरा कमांक 529 के रकबा 1.82 हे.; राजस्व वन भूमि के अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी, सूरजपुर वनमंडल एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	147–149
33	**15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन –** खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।	150
34	**वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर सूरजपुर द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 26.07.2021 को जारी किया गया है, जो प्रस्ताव में संलग्न है।	151–157
35	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र –** प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि संबंधी कलेक्टर सूरजपुर का दिनांक 26.07.2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण प्रस्ताव में संलग्न है।	158–161
36	**माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र –** माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का आवेदक संस्थान द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।	162
37	**Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance –** यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	163
38	**A detailed note on Soil Productivity or the lack of it –** प्रस्तावित नवीन कोर्ट भवन निर्माण हेतु खसरा क्रमांक 529 के रकबा 1.82 हे.; राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु आवेदित वन भूमि की मिट्टी का प्रकार लाईम/जिप्सम है। मिट्टी का परीक्षण सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी अंबिकापुर जिला सरगुजा से कराया गया है। परीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।	164–165
39	**परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र –** वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने का प्रमाण पत्र वनमंडलाधिकारी, सूरजपुर एवं आवेदक संस्थान द्वारा दी गई है।	166
40	**Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 –** केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।	167
41	**पंजीयन क्रमांक–पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण –** बिन्दु क्रमांक–2 पर विवरण दिया गया है।	168

क्रमशः 5

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
42	**वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत –** आवेदक संस्थान के प्रतिवेदन अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवश्यकता नहीं है।	169
43	**विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण –** लागू नहीं।	170
44	**प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण –** प्रस्ताव में नवीन जिला कोर्ट निर्माण हेतु व्यपवर्तन प्रस्तावित राजस्व वन भूमि का डीजीपीएस एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण का डीजीपीएस सर्वे रिपोर्ट संलग्न है।	171–209

प्रकरण का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरुप सभी औपचारिकताए पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र–4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र–5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु उचित कार्यवाही करने का अनुरोध है।

संलग्नः – प्रस्ताव 1 प्रति में।

27-9-22

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृ.क्रमांक एफ–5–17/2022/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 27/09/2022

प्रतिलिपिः–

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ,।
2.मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।
3.वनमंडलाधिकारी, सूरजपुर वनमंडल, सूरजपुर, छत्तीसगढ़ ।
4.आवेदनकर्ता कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सूरजपुर, छत्तीसगढ़।
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग